

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अध्येत्तर अधिकारी, जी-३/१, राजगड़ल रोड़ीफैसी एविं,
राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-३०२००५

क्रमांक : एफ.1(1)()स्था/सान्याअवि/१७/७।५२९

जयपुर, दिनांक:- २९-११-१७

संशोधित—आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक ४३६५८ दिनांक १६.०८.२०१७ एवं ४३८०८ दिनांक १६.०८.२०१७ में आंशिक संशोधन किया जाकर परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को देय स्थिर पारिश्रमिक रूपये १४६००/- के स्थान पर १४६६०/- पढ़ा जावें।

(डॉ समित शर्मा)

निदेशक

क्रमांक : एफ.1(1)()स्था/सान्याअवि/१७/७।५३०-६३।

जयपुर, दिनांक:- २९-११-१७

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. विशेष सहाय, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-४/२)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता एवं प्रशासन, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
8. निजी सचिव, उप निदेशक,(प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....
10. ए.सी.पी., मुख्यावास को विभागीय बैंकसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारी श्री/ श्रीमती/ सुश्री.....।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/ श्रीमती/ सुश्री.....।
13. आदेश पत्रावली।

Conf

(संघभित्रा बरडिया)
उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)